(90)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 361-पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 15-09-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 206/अपील/09-10

1-मोड्डा पिता कालू
2-चुब्बा पिता काल्या
3-सुम्मत पिता सद्दू
4-दूर्री पित सद्दू
5-डोमू पिता महाजन
6-छतरसिंह पिता दम्मा
7-सोनू पिता जबरसिंह
निवासी जामुनढाना भीमपुर तहसील भैंसदेहीं
जिला बैतूल म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-गब्बू पिता काडमा
2-अमर पिता काडमा
3-बारिक पिता काडमा
4-कमल पित काडमा
5-मीना पिता काडमा
निवासी चिखली भीमपुर तहसील भैंसदेही
जिला बैतूल म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री संदीप गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-09-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम भीमपुर तहसील भैसदेही स्थित सर्वे नम्बर 86 एवं 87 पर वर्ष 1984 तक काडमा आ0 मकडू के नाम तथा अन्य हिस्सेदार सकडू के वारिसान कालू, महाजन, जबरसिंह तथा गुंजी आ0 मोहबत के साथ शामिल शरीक दर्ज रहा है। वर्ष 1984 में खातेदारों के आवेदन पत्र के आधार पर पटवारी द्वारा संशोधन क्रमांक 49 दिनांक 25-10-84 को दर्ज धारकों का आपसी बटवारा प्रस्तावित किया जिसमें काडमा द्वारा अपने हिस्से की भूमि हम्मूलाल को बेचने का उल्लेख करते हुये खाते से काडमा का नाम निरस्त किया जाना प्रस्तावित किया । इसी आधार पर प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा दिनांक 25-2-1985 को संशोधन प्रमाणित किया गया । जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा उक्त संशोधन में अपना नाम जुडवाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5-5-2008 को आदेश पारित करते हुये संशोधन क्रमांक 49 प्रमाणीकरण दिनांक 25-2-1985 को निरस्त कर अनावेदकगण की अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15-9-2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपनाई गई वैधानिक प्रक्रिया को अवैध मानकर अपीलीय न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाले है वह निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित होने तथा जॉच की विषय वस्तु होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करने के आदेश दिये बिना आलोच्य आदेश पारित करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण विचारण न्यायालय की ओर गुणदोष के आधार पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित करना चाहिये था, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुये प्रकरण का निराकरण किया

जाता । यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा किया गया नामान्तरण संदेहास्पद हो तब उसका निराकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होकर विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित करना चाहिये, जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि संशोधन पंजी क्रमांक 49 प्रमाणीकरण दिनांक 25-2-1985 द्वारा पटवारी ने टीप अंकित किये जाने पर कि काडमा द्वारा अपने हिस्से की भूमि कर्जे में बेच दी गई है, उसका हिस्सा एवं कब्जा नहीं है, खाते से काडमा का नाम हटा दिया गया है । संशोधन प्रमाणीकरण के पूर्व प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा काडमा एवं उसके वारिसानों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि काडमा एवं उसके वारिसों को उक्त संशोधन की जानकारी नहीं थी, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा किया गया संशोधन उचित प्रतीत नहीं होता है तथा प्रकरण ऐसा कोई प्रमाण संलग्न नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अनावेदकगण द्वारा भूमि बेच दी गई हो । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की है व पंजी पर हुये उक्त संशोधन को निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-09-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर